



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या:—117/05/APO-21/G-1/2022-23

दिनांक: 01 दिसम्बर, 2022

विज्ञप्ति (परीक्षा परिणाम)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक: 08.06.2022 एवं 09.06.2022 को आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा—2021 की मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को औपबन्धिक (Provisional) रूप से मा0 आयोग द्वारा सफल घोषित किया गया है—

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 200027 | 200052 | 200077 | 200170 | 200187 | 200427 | 200430 | 200503 |
| 200522 | 200574 | 200594 | 200624 | 200702 | 200711 | 200712 | 200849 |
| 200913 | 201003 | 201070 | 201165 | 201256 | 201398 | 201405 | 201645 |
| 201666 | 201677 | 201742 | 201766 | 202130 | 202176 | 202215 | 202245 |
| 202300 | 202466 | 202916 | 202925 | 202978 | 203358 | 203372 | 203389 |
| 203496 | 203547 | 203642 | 203703 | 203867 | 204036 | 204114 | 204307 |
| 204945 | 205406 | 205552 | 205774 | 205785 | 206022 | 206160 | 206187 |
| 206301 | 206686 | 206979 | 207080 | 207249 | 207258 | 207285 | 207381 |
| 207592 | 207644 | 207647 | 207984 | 208128 | 208371 | 208704 | 208716 |
| 208941 | 209171 | 209360 | 209590 | 209644 | 209738 | 209907 | 210122 |
| 210243 | 210505 | 210593 | 210767 | 210804 | 211021 | 211229 | 211386 |
| 211592 | 211611 | 211761 | 211798 | 213444 | 213478 | 213518 | 214037 |
| 214073 | 214231 | 214347 | 214572 | 214728 | 214737 | 214814 | 215175 |
| 215357 | 215534 | 215685 | 215781 | 215789 | 215968 | 216212 | 216221 |
| 216767 | 216884 | 217303 | 217308 | 217332 | 217366 | 217411 | 217778 |
| 217812 | 217849 | 218151 | 219185 | 220143 | 220818 | 221009 | 222737 |
| 222809 | 223175 | 223423 | 224140 | 224248 | 225587 | 229104 | 229220 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| 229256 | 229625 | 229784 | 229831 | 230026 | 230052 | 230068 | 230073 |
| 230395 | 230565 | 230663 | 230707 | 230901 | 231509 | 231518 | 231541 |
| 231727 | 231757 | 231899 | 231900 | 232140 | 232197 | 232368 | 232562 |
| 232624 | 232996 | 233040 | 233091 | 233184 | 233201 | 233559 | 233678 |
| 233922 | 234090 | 234143 | 234318 | 235345 | 235525 | 235609 | 235729 |
| 235784 | 236305 | 236891 | 237308 | 237328 | 237344 | 238470 | 238599 |
| 239174 | 239298 | 239405 | 239528 | 239544 | 239697 | 239722 | 239826 |
| 239851 | 239945 | 240614 | 240815 | 240916 | 241069 | 241087 | 241101 |
| 241123 | 241263 | 241377 | 241767 | 241978 | 242086 | 242233 | 242244 |
| 242368 | 242424 | 242487 | 242659 | 242753 | Total-213 | | |

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक (**Provisional**) है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. उक्त परीक्षा परिणाम मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दाखिल एस0एल0पी0 नं0- 18143/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
3. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार **माह जनवरी, 2023 के द्वितीय सप्ताह** में होना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विस्तृत विवरण समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से यथासमय पृथक से प्रकाशित किये जाएंगे।
4. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा **रिट याचिका संख्या: 49 ऑफ 2022 (एस0/बी0)** में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, (प्रक्रिया का विनियमन), अधिनियम, 1985, उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अध्याय-पाँच के बिन्दु 11(1) के आलोक में मा0 आयोग द्वारा दिनांक 18.08.2022 को लिये गये निर्णय के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी के अंतर्गत विज्ञापित दिव्यांगजन हेतु आरक्षित 02 पदों को

शासन को प्रत्यावर्तित किया गया है, तथापि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चयन में प्रतिभाग का अवसर सुरक्षित रखा गया है।

5. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से सम्बन्धित सूचना साक्षात्कारोपरान्त अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जाएगा। अतः कृपया अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव